दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

निर्णय दिनांक :–.....17/03/26

वादीगण की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री कुलदीप विश्नोई अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर ए एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 8 एच डी पी के प.नं. 16/256 मु.नं. 28 के किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 2.530 हैक. नहरी मय गेर मु. रास्ता भूमि कलवंत सिंह व बलवंत सिंह पिसरान हजुर सिंह का दर्ज रिकार्ड का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड से कलवंत सिंह व बलवंत सिंह का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/03/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)

उपखण्ड़ अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा